



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2006/पौष 12, 1927

No. 2]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2006/PAUSA 12, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कन्ध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2006

सा.का.नि. 2(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्र सरकार, नौचालन सर्वेक्षक, गोवा के स्थान पर, प्रधान अधिकारी (प्रभारी), समुद्री वाणिज्य विभाग, मुम्बई को एतद्वारा 31-3-2006 तक, मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के पहले के पोत परिवहन मंत्रालय, पत्तन पक्ष की दिनांक 14 मई, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 330(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 में उल्लिखित शब्दों, "नौचालन सर्वेक्षक, गोवा" को "प्रधान अधिकारी (प्रभारी), समुद्री वाणिज्य विभाग, मुम्बई" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. पी टी-18011/12/2003-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2006

G.S.R. 2(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 and Sub-section (2) of Section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Principal Officer (In-Charge), Mercantile Marine Department, Mumbai on the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust *vice* Nautical Surveyor, Goa as a Trustee upto 31-3-2006 and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 330(E), dated 14th May, 2004.

2. In the said Notification, against serial number 1 for the words "Nautical Surveyor, Goa" the words "Principal Officer (In-Charge), Mercantile Marine Department, Mumbai" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/12/2003-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.